मध्यप्रदेश विधान सभा

मार्च, 1991 सत्र

दैनिक कार्य सूची

सोमवार, दिनांक 25 मार्च, 1991 (चैत्र 4, 1913)
समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री बाबूलाल गौर, संसदीय कार्य मंत्री, मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) की धारा 9 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक 472/का.एक (2) 57-अड़तालीस-90 (सं.का.) दिनांक 20 मार्च, 1991 जिसके द्वारा मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य (रेल द्वारा निःशुल्क अभिवहन) नियम 1978 में संशोधन किये गये है, पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण

(1) श्री मगनलाल गोइल, सदस्य, टीकमगढ़, जिले के तालमऊ ग्राम में हुई डकैती की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री अशोक शुक्ला, सदस्य, इंदौर जिले के ग्राम बजरंगपुर निवासी एक व्यक्ति की पुलिस द्वारा की गई पिटाई से हुई मौत की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री विश्वम्भर नाथ पाण्डेय, सदस्य, बाणसागर परियोजना की देवलौंद डिवीजन के अधिकारियों द्वारा मशीनों की अकारण की गई खरीदी के संबंध में जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री सोमप्रकाश गिरी, सदस्य, रायपुर जिले के सिहावा विधान सभा क्षेत्र के नगरी परिक्षेत्र में लकड़ी की हो रही अवैध कटाई की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री मोतीलाल वोरा, सभापति, लोक लेखा समिति का 133 (II) वां, 135 वां, 136-वां तथा 137 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(2) श्री चन्द्रशेखर साहू, सभापति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का बारहवां, तेरहवां, चौदहवां एवं पन्द्रहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(3) डॉ. सीताशरण शर्मा, सभापति, प्रत्यायुक्त विधान समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) **डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य -**

(क) जिला भिण्ड के ग्राम बिजपुर में पशु औषधालय खोले जाने के संबंध में,

(ख) ग्राम मुरावली में कन्या माध्यमिक विद्यालय खोलने के संबंध में,

(ग) ग्राम आलमपुर में प्रसूतिगृह स्थापित कराये जाने के संबंध में,

(घ) ग्राम अचलपुरा में पशु औषधालय खोले जाने के संबंध में,

(ङ) ग्राम मेहरा बुजुर्ग में खरन्जा एवं नाली निर्माण कराये जाने के संबंध में,

(च) ग्राम रिनिया के हैण्ड पंपों की मरम्मत कराये जाने के संबंध में,

(2) श्रीमती जयश्री बनर्जी, सदस्या -

(क) जिला जबलपुर के धनवंतरी नगर में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोले जाने के संबंध में,

(ख) पोली पाथर में शासकीय प्राथमिक व माध्यमिक शाला हेतु भवन निर्माण कराये जाने के संबंध में,

(3) श्री मनीष कुंजाम, सदस्य -

(क) जिला बस्तर के ग्राम पोलमपल्ली के किस्ताराम तक सड़क निर्माण कराने के संबंध में,

(ख) सुकमा में 30 बिस्तरों का अस्पताल एवं एक्स-रे मशीन की व्यवस्था कराने के संबंध में,

(4) श्री जालम सिंह पटेल, सदस्य - जिला दुर्ग, विकास खंड बालोद के ग्राम अमलोडीह में पशु औषधालय भवन निर्माण कराये जाने के संबंध में,

(5) श्री रामदयाल अहिरवार, सदस्य - जिला छतरपुर के ग्राम राजनगर से देशी शराब की दुकान अन्यत्र स्थापित करने के संबंध में,

(6) श्री अशोक कुमार चोरसिया, सदस्य - जिला छतरपुर के ग्राम सिमरिया के वार्ड नम्बर-1 में एक बत्ती कनेक्शन दिलाये जाने के संबंध में,

(7) श्री बद्रीलाल सोनी, सदस्य - विधान सभा क्षेत्र सुसनेर के ग्राम सोयतकला में महाविद्यालय खोले जाने के संबंध में,

(8) श्री मंगल पराग, सदस्य - भोपाल के अम्बेडकर नगर में जल प्रदाय हेतु ओव्हर टैंक निर्माण कराने के संबंध में,

याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री बाबूलाल जैन, वाणिज्यिक कर मंत्री, मध्यप्रदेश वृत्ति, व्यापार, आजीविका और सेवा योजन कर (निरसन) विधेयक, 1991 (क्रमांक 9 सन् 1991) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

निर्धारित समय
1 घंटा
30 मिनिट

7. अध्यादेश का अननुमोदन का संकल्प

श्री जगदम्बाप्रसाद निगम, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

"यह सदन मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा बनाये गये चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय अध्यादेश, 1991 (क्रमांक 1 सन् 1991) का अननुमोदन करता है."

8. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री विक्रम वर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय विधेयक, 1991 (क्रमांक 7 सन् 1991) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

9. संविहित संकल्प

श्री बाबूलाल गौर, संसदीय कार्य मंत्री, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

"यह सदन मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) की धारा 5-क के साथ पठित धारा 9 की उपधारा (2) के खण्ड (कक) के अंतर्गत मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य (रेल द्वारा निःशुल्क अभिवहन) नियम, 1978 में किए गए संशोधनों को, जो संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक 472/फा. एक (2) 57-अड़तालीस-90 (सं.का.), दिनांक 20 मार्च, 1991 द्वारा मध्य प्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 20 मार्च, 1991 में प्रकाशित किए गए हैं, उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के अनुसरण में अनुमोदन करता है."

निर्धारित समय	
	10. नियम 130 के अधीन सामान्य लोकहित के विषय पर चर्चा
1 घंटा 30 मिनिट	मध्यप्रदेश में तेन्दूपत्ता के व्यापार से हुए लाभांश का शेष 113 करोड़ रूपया हकदारों को वितरित करने के संबंध में श्री अर्जुन सिंह, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.
	11. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा
1 घंटा 30 मिनिट	(1) प्रदेश में ओला वृष्टि, अतिवृष्टि, पाला एवं इल्लियों के भारी प्रकोप आदि से फसलों की क्षति होने के संबंध में सर्वश्री शिवराज सिंह चौहान, महेश तिवारी, जालम सिंह पटेल, उदय प्रकाश मिश्रा, डॉ. गोविन्द सिंह, कमलेश्वर प्रसाद द्विवेदी, तिलक राज सिंह, रामबहादुर सिंह एवं भागचन्द सोगानी, सदस्य चर्चा उठायेंगे.
1 घंटा	(2) प्रदेश के सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र के उद्योगों द्वारा फैलते प्रदूषण के कारण जन जीवन पर पड़ रहे दुष्प्रभाव के संबंध में श्री चन्द्रशेखर साहू, श्री पुष्पराज सिंह एवं श्री ललित जैन, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.
1 घंटा	(3) प्रदेश में नकली व अवमानक दवाओं से बिक्री पर रोक एवं दण्ड का प्रावधान करने के संबंध में श्रीमती नेहा सिंह एवं श्री ललित जैन, सदस्य चर्चा उठायेंगे.
1 घंटा	(4) प्रदेशमें खाद्य सामग्री एवं अन्य जीवनोपयोगी वस्तुओं के मूल्यों में भारी वृद्धि होने के संबंध में श्री जालम सिंह पटेल, श्री रामानंद सिंह एवं श्री ललित जैन, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.
1 घंटा	(5) प्रदेश में घाटे में चल रहे सार्वजनिक उपक्रमों को बंद करने के संबंध में श्री जगदम्बा प्रसाद निगम, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.
	12. नियम 142-क के अधीन अल्पकालीन चर्चा
30 मिनिट	प्रदेश के खेल परिसरों के विकास की गति अवरूद्ध होने तथा केन्द्रीय सहायता का उपयोग न हो पाने के संबंध में श्रीमती जयश्री बनर्जी, सदस्या की सूचना.

विश्वेन्द्र मेहता
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल
दिनांक 24 मार्च, 1991